राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

क्रमांक: प.5(16)राज-6/92/15 जयपुर, दिनांक: 31.8.2000

-: परिपत्र :-

विषय:- कृषि भूमि के सह-उत्तराधिकारी द्वारा दस्तरबरदारी (रिलीज डीड) के माध्यम से क्लेम का त्याग एवं नामान्तरण करने बाबत् ।

-:-

कृषि भूमि में सह उत्तराधिकारियों द्वारा दस्तरबरदारी (रिलीज डीड) के द्वारा खातेदार की मृत्यु के पश्चात अन्य उत्तराधिकारियों के पक्ष में क्लेम का त्याग एवं नामान्तरण न करने के संबंध में इस विभाग द्वारा परिपत्र संख्या: प.5(16)राज-6/92/6 दिनांक 4.5.2000 जारी किया गया था । परिपत्र दिनांक 4.5.2000 पर पुनर्विचार किया गया एवं इससे उत्पन्न समस्या तथा विधि विभाग एवं महाधिवक्ता की राय के संदर्भ में प्रकरण में विचार कर परिपत्र दिनांक 4.5.2000 उचित नहीं पाया गया है । अत: इसे निरस्त किया जाता है ।

अत: निदेशानुसार लेख है कि रिलीज डीड से सह उत्तराधिकारी द्वारा कृषि भूमि में अधिकार का त्याग अन्य उत्तराधिकारियों के पक्ष में करने एवं नामान्तरण खोलने की कार्यवाही पूर्व परिपत्र क्रमांक: प.5(16)राज-6/92/16 दिनांक 8.9.93 के अनुसार ही की जाये, जिसके लिए भारतीय मुद्रांक कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद-55 के तहत मुद्रांक कर 100/- रुपये लिया जायेगा ।

(सी.एम. खत्री)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर ।
3. शासन उप सचिव, वित्त (ग्रुप-4) विभाग को उनके पत्रांक प.1 दिनांक 10.6.93 के संदर्भ में ।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज0, अजमेर को प.7(2) दिनांक 4.9.92 के क्रम में ।
5. भू-प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली ।

उ